न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री मारिंगा राम , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 168 / 2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. लुणादेवी पत्नी घेवरराम 2. अशोक कुमार पुत्र घेवरराम 3. महेन्द्र कुमार पुत्र घेवरराम जातिगण मेघवाल निवासीगण हापत तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः–

1. श्री गजेन्द्र परिहार अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 04/11/2024

अधिवक्ता मय वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादी तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा हापत, प0ह0 रेपडावास, भू0अ0नि0 क्षेत्र चाड़वास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खसरा नंबर 256/1 रकबा 1.1800 है0 किस्म बा.अ. की कृषि भूमि वादीगण के पति/पिता घेवरराम पुत्र गणेशराम जाति मेघवाल की आई हुई स्थित हैं, जो उन्हे पूर्व में सेना में कार्यरत रहने से दिनांक 02.05.1986 को राजस्व कैम्प ग्राम पंचायत रेपड़ावास में सिवाय चक कृषि भूमि ग्राम हापत के खसरा नंबर 256 रकबा 7.1800 है0 में से 1.1800 है0 की कृषि भूमि का भू–आंवटन कर भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द किया गया था। वादीगण के पिता/पति का दिनांक 19.09.2022 को देहान्त होने के पश्चात् से वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। उक्त आवंटनसुदा भूमि का नामा0 सं0 122 दर्ज करते हुए तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा भूल एवं सेवन से वादीगण के पति/पिता घेवर पुत्र गुणेश की जाति मेघवाल के स्थान पर राईका दर्ज कर दी गई। जो लगातार पश्चातवर्ती जमाबंदीयों में वादीगण के पति/पिता की जाति राईका ही चली आ रही हैं। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा राजस्व वाद प्रस्तुत सरहद मौजा ग्राम हापत के खसरा नंबर 256/1 रकबा 1.1800 है0 किस्म बा0अ0 कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज वादीगण के पति/पिता घेवरराम पुत्र गणेशराम जाति राईका के स्थान पर वास्तविक एवं सही दस्तावेजी नाम घेवरराम पुत्र गणेशराम जाति मेघवाल दुरूस्त इन्द्राज किया जाकर खातेदारी घोषणा किये जाने की ईशतदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी तहसीलदार सोजत को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जवाब दावा पेश कर पैरा सं0 01 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा हापत में स्थित होना स्वीकार किया, पैरा सं0 02 से 05 को वादी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना, पैरा सं0 06 से 07 कानूनी होना तथा पैरा सं0 8 के संबंध में माफिक ईशतदुआ एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार नाम दुरूस्त किया जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी द्वारा वाद में वर्णित अपने कथनों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पति/पिता घेवरराम पुत्र गणेशराम जाति राईका के स्थान पर वास्तविक एवं सही दस्तावेजी नाम घेवरराम पुत्र गणेशराम जाति मेघवाल दुरूस्त किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी

खातेदारी घोषणा किये जाने की ईश्तदुआ की है। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा माफिक ईश्तदुआ एवं दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार नाम दुरूस्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद, जवाब दावा फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा भू–आवंटन आदेश दिनांक 02.05.1986, ग्राम पंचायत रेपड़ावास का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि से वादीगण के पति/पिता का सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम घेवरराम पुत्र गणेशराम जाति मेघवाल होने की संपुष्टि होती है। लिहाजा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पति/पिता घेवरराम पुत्र गणेशराम जाति राईका के स्थान पर वास्तविक एवं सही दस्तावेजी नाम घेवरराम पुत्र गणेशराम जाति मेघवाल दुरूस्त इन्द्राज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम हापत के खसरा नंबर 256/1 रकबा 1.1800 है0 किस्म बा0अ0 कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज वादीगण के पति/पिता घेवरराम पुत्र गणेशराम जाति राईका के स्थान पर वास्तविक एवं सही दस्तावेजी नाम घेवरराम पुत्र गणेशराम जाति मेघवाल दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 05/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:– श्री मासिंगा राम (आर.ए.एस.)

वादीगण — बनाम — प्रतिवादी

1. लुणादेवी पत्नी घेवरराम
2. अशोक कुमार पुत्र घेवरराम
3. महेन्द्र कुमार पुत्र घेवरराम जातिगण मेघवाल निवासीगण हापत तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।

1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956
राजस्व वाद संख्या :– 168 / 2024

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री गजेन्द्र परिहार तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत स्वयं पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम हापत के खसरा नंबर 256 / 1 रकबा 1.1800 है0 किस्म बा0अ0 कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज वादीगण के पति / पिता घेवरराम पुत्र गणेशराम जाति राईका के स्थान पर वास्तविक एवं सही दस्तावेजी नाम घेवरराम पुत्र गणेशराम जाति मेघवाल दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान– मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्बा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05/11/2024 को जारी की गई।

(हस्ताक्षर)
(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला पाली)

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.